अति तत्काल

फा. सं. 12/4/2018-जेसीए2
भारत सरकार
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
जेसीए अनुभाग

*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 20 अगस्त, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : दिल्ली/नई दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के सभी प्रशासनिक कार्यालयों में 2018 के दौरान ईद-उल-जुहा (बकरीद) के कारण छुट्टी की तारीख में परिवर्तन

उपरोक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 14/08/2018 के समसंख्यक का.ज्ञा. के अधिक्रमण में और शाही इमाम, जामा मस्जिद, दिल्ली सैयद अहमद बुखारी की अध्यक्षता वाली रुइयत हिलाल (चाँद पर निर्णय लेने वाली समिति) की रिपोर्ट के आधार पर भारत के विभिन्न शहरों से चाँद देखने की जानकारी प्राप्त हुई है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली/नई दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के सभी प्रशासनिक कार्यालयों के लिए ईद-उल-जुहा (बकरीद) दिनांक 23.08.2018 के बजाय 22 अगस्त, 2018 को मनाई जाएगी। जैसा कि इस मंत्रालय के दिनांक 14.06.2017 के का.ज्ञा. सं. 12/3/2017 जेसीए-2 द्वारा अधिसूचित किया गया था

2. दिल्ली/नई दिल्ली से बाहर स्थित कार्यालयों के लिए कर्मचारी समन्वय समितियां या कार्यालयाध्यक्ष (जहां ऐसी समितियां कार्यरत नहीं हैं) संबंधित राज्य सरकार के निर्णय के आधार पर इस तारीख के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

3. इस संबंध में पूर्व में जारी किए गए दिनांक 14/08/2018 समसंख्यक का.ज्ञ. को वापस ले लिया गया है।

(जुगलाल सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष :- 23092338

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. संघ लोक सेवा आयोग/केंद्रीय सतर्कता अयोग/नियंत्रक और महालेखा परीक्षक/उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/लोक सभा सचिवालय/राजय सभा सचिवालय/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग/राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग/राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।
3. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय/गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
4. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13 सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र) कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य।
6. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की विभागीय परिषद् (संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र) के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य।
7. राज्य की राजधानियों में केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण समन्वय समितियों के अध्यक्ष/सचिव।।
8. उप सचिव (समन्वय), दिल्ली सरकार सचिवालय, आई.जी.स्टेडियम, आई.टी.ओ. नई दिल्ली।
9. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव।